

पत्र संख्या-  
सेवा में,

/ बरेली जोन /

दिनांक-

उप आवास आयुक्त  
( पंजीकरण अनुभाग)  
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद  
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

**विषय:-**

परिषद की मझोला योजना संख्या-4, भाग-2 (विस्तार), मुरादाबाद के सेक्टर-12ए में रेरा पंजीकरण सं०-UPRERAPRJ365258/ 02/2026 के अन्तर्गत 59 नग एवं सेक्टर-14 में रेरा पंजीकरण सं०-UPRERAPRJ410085/ 02/2026 के अन्तर्गत 137 नग विभिन्न प्रकार के स्व-वित्त पोषित सेमीफिनिशड भवनों का पंजीकरण खोलने हेतु पंजीकरण पुस्तिका प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक रुहेलखण्ड वृत्त, मुरादाबाद के पत्राक 315 दिनांक 23.02.2026 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा परिषद की मझोला योजना संख्या-4, भाग-2 (विस्तार), मुरादाबाद के सेक्टर-12ए में रेरा पंजीकरण सं०-UPRERAPRJ365258/ 02/2026 के अन्तर्गत 59 नग एवं सेक्टर-14 में रेरा पंजीकरण सं०-UPRERAPRJ410085/ 02/2026 के अन्तर्गत 137 नग विभिन्न प्रकार के स्व-वित्त पोषित सेमीफिनिशड भवनों का पंजीकरण खोलने हेतु "आदर्श पंजीकरण पुस्तिका" प्रकाशन हेतु संयुक्त हस्ताक्षरित प्रस्ताव पुस्तिका के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करते हुए मुख्यालय प्रेषित किये जाने हेतु संयुक्त हस्ताक्षरित प्रस्ताव वृत्त कार्यालय प्रेषित किया गया है।

अतः संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त पंजीकरण खोलने हेतु पुस्तिका संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

**संलग्नक:-** उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

उप आवास आयुक्त  
बरेली जोन, बरेली

पृष्ठ संख्या- 76

/ उक्त /

दिनांक- 23.02.2026

प्रतिलिपि-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अधीक्षण अभियन्ता, रुहेलखण्ड वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद मुरादाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, रुहेलखण्ड -2, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद मुरादाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, रुहेलखण्ड-3 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद मुरादाबाद।
4. सम्पत्ति प्रबन्धक, मुरादाबाद।

23/02/26

उप आवास आयुक्त  
बरेली जोन, बरेली

पत्र संख्या- 76  
सेवा में,

/ बरेली जोन /

दिनांक-23.02.2026

उप आवास आयुक्त  
( पंजीकरण अनुभाग)  
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद  
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

**विषय:-** परिषद की मझोला योजना संख्या-4, भाग-2 (विस्तार), मुरादाबाद के सेक्टर-12ए में रेरा पंजीकरण सं०-UPRERAPRJ365258/ 02/2026 के अन्तर्गत 59 नग एवं सेक्टर-14 में रेरा पंजीकरण सं०-UPRERAPRJ410085/ 02/2026 के अन्तर्गत 137 नग विभिन्न प्रकार के स्व-वित्त पोषित सेमीफिनिशड भवनों का पंजीकरण खोलने हेतु पंजीकरण पुस्तिका प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक रुहेलखण्ड वृत्त, मुरादाबाद के पत्राक 315 दिनांक 23.02.2026 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा परिषद की मझोला योजना संख्या-4, भाग-2 (विस्तार), मुरादाबाद के सेक्टर-12ए में रेरा पंजीकरण सं०-UPRERAPRJ365258/ 02/2026 के अन्तर्गत 59 नग एवं सेक्टर-14 में रेरा पंजीकरण सं०-UPRERAPRJ410085/ 02/2026 के अन्तर्गत 137 नग विभिन्न प्रकार के स्व-वित्त पोषित सेमीफिनिशड भवनों का पंजीकरण खोलने हेतु "आदर्श पंजीकरण पुस्तिका" प्रकाशन हेतु संयुक्त हस्ताक्षरित प्रस्ताव पुस्तिका के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करते हुए मुख्यालय प्रेषित किये जाने हेतु संयुक्त हस्ताक्षरित प्रस्ताव वृत्त कार्यालय प्रेषित किया गया है।

अतः संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त पंजीकरण खोलने हेतु पुस्तिका संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

**संलग्नक:-** उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

उप आवास आयुक्त  
बरेली जोन, बरेली

पृष्ठ संख्या-

/ उक्त /

दिनांक-

**प्रतिलिपि-**निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अधीक्षण अभियन्ता, रुहेलखण्ड वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद मुरादाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, रुहेलखण्ड -2, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद मुरादाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, रुहेलखण्ड-3 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद मुरादाबाद।
4. सम्पत्ति प्रबन्धक, मुरादाबाद।

उप आवास आयुक्त  
बरेली जोन, बरेली



पत्रांक: 315  
सेवा में,

/एम-28मुरा0/ 18

दिनांक: 23-02.2026

उप आवास आयुक्त,  
बरेली जोन,  
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,  
122, सिविल लाइन्स, बरेली।

विषय:- परिषद की मझोला योजना संख्या-4, भाग-2 (विस्तार), मुरादाबाद के सेक्टर-12ए में रेरा पंजीकरण सं0-UPRERAPRJ365258/ 02/2026 के अन्तर्गत 59 नग एवं सेक्टर-14 में रेरा पंजीकरण सं0-UPRERAPRJ410085/ 02/2026 के अन्तर्गत 137 नग विभिन्न प्रकार के स्व-वित्त पोषित सेमीफिनिशड भवनों का पंजीकरण खोलने हेतु पंजीकरण पुस्तिका प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक रुहेलखण्ड वृत्त, मुरादाबाद के अधीनस्थ नि0ख0, रुहेलखण्ड-02 एवं 03, मुरादाबाद एवं सम्पत्ति प्रबन्धक, मुरादाबाद द्वारा परिषद की मझोला योजना संख्या-4, भाग-2 (विस्तार), मुरादाबाद के सेक्टर-12ए में रेरा पंजीकरण सं0-UPRERAPRJ365258/ 02/2026 के अन्तर्गत 59 नग एवं सेक्टर-14 में रेरा पंजीकरण सं0-UPRERAPRJ410085/ 02/2026 के अन्तर्गत 137 नग विभिन्न प्रकार के स्व-वित्त पोषित सेमीफिनिशड भवनों का पंजीकरण खोलने हेतु "आदर्श पंजीकरण पुस्तिका" प्रकाशन हेतु संयुक्त हस्ताक्षरित प्रस्ताव पुस्तिका के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करते हुए मुख्यालय प्रेषित किये जाने हेतु संयुक्त हस्ताक्षरित प्रस्ताव वृत्त कार्यालय प्रेषित किया गया है। वृत्त स्तर पर परीक्षणोंपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर करते हुए आपको सहमति स्वरूप हस्ताक्षरयुक्त पुस्तिका प्रेषित है।

अतः अपने हस्ताक्षर उपरान्त पंजीकरण खोलने हेतु पुस्तिका पंजीकरण अनुभाग, मुख्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार। -26-12-2025

भवदीय

(इं0 महेन्द्र कुमार)  
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0:

/उक्त/

दिनांक: .02.2026

प्रतिलिपि:-

- 1- अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, रुहेलखण्ड-02 एवं 03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद को उपरोक्त सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि आदर्श पंजीकरण पुस्तिका की मूलप्रति उप आवास आयुक्त, बरेली जोन को उपलब्ध कराते हुए हस्ताक्षर उपरान्त पंजीकरण पुस्तिका प्रकाशन हेतु उप आवास आयुक्त, पंजीकरण अनुभाग, लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता





मा0 मुख्यमंत्री  
श्री योगी आदित्यनाथ जी



मा0 प्रधानमंत्री  
श्री नरेन्द्र मोदी जी

IS15700:2018

हमारा प्रयास



आपका आवास

सेवोत्तम प्रमाणित

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

की मझोला योजना सं0-4 भाग-2 (विस्तार), मुरादाबाद के सेक्टर-12ए में 59  
नग एवं सेक्टर-14 में 137 नग विभिन्न प्रकार के स्व-वित्तपोषित सेमीफिनिशड  
भवनों को प्राप्त करने का

सुनहरा अवसर

रेरा पंजीकरण संख्या-		
सेक्टर-12ए में 59 नग भवनों हेतु-	UPRERAPRJ365258/02/2026	
सेक्टर-14 में 137 नग भवनों हेतु-	UPRERAPRJ410085/02/2026	
रेरा वेबसाइट- <a href="http://www.up-rera.in/project">www.up-rera.in/project</a>		

Accpt.

h  
ATB

AA  
BB

EE

FF

अध्यक्ष अभियन्ता



मा0 मुख्यमंत्री  
श्री योगी आदित्यनाथ जी



मा0 प्रधानमंत्री  
श्री नरेन्द्र मोदी जी

IS15700:2018

हमारा प्रयास



आपका आवास

सेवोत्तम प्रमाणित

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

की मझोला योजना सं0-4 भाग-2 (विस्तार), मुरादाबाद के सेक्टर-12ए में 59  
नग एवं सेक्टर-14 में 137 नग विभिन्न प्रकार के स्व-वित्तपोषित सेमीफिनिशड  
भवनों को प्राप्त करने का

सुनहरा अवसर

रेरा पंजीकरण संख्या-		
सेक्टर-12ए में 59 नग भवनों हेतु-	UPRERAPRJ365258/02/2026	
सेक्टर-14 में 137 नग भवनों हेतु-	UPRERAPRJ410085/02/2026	

रेरा वेबसाइट- [www.up-rera.in/project](http://www.up-rera.in/project)

Accpt. h  
AE

अधीक्षण अनियन्ता  
रुहेलखण्ड, मुरादाबाद



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद  
एक परिचय

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से क्रियान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास सम्बन्धी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य :-

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास सम्बन्धी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना एवं आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित कर उनको आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतन्त्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शॉपिंग कॉम्प्लैक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।
- (न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफैक्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- (प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।
- (फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वित्तीय संस्थाओं से वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे विद्युत आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालय एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित होती हैं।

परिषद जन-साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को भी आवासीय भवन एवं विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराती है।

Acc't. R. M.G.



EE

Em

अधीक्षण अभियन्ता  
रुहेलखण्ड, मुरादाबाद

  
DHL

3

## योजना के मुख्य आकर्षण

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की मझोला योजना सं0-4 भाग-2 (विस्तार), दिल्ली मार्ग से 2 किमी पर मुरादाबाद में स्थित है। यह नवीनतम आवासीय परियोजना वर्ष 2021 से संचालित है। योजना का कुल क्षेत्रफल 103.814 हेक्टेयर है। योजना के मुख्य आकर्षण निम्नवत हैं:-

- ❖ मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से 15 मिनट की दूरी पर स्थित है।
- ❖ कलेक्ट्रेट कार्यालय 6 कि0मी0 की सीमा में स्थित है।
- ❖ विकास भवन 8 कि0मी0 की सीमा में स्थित है।
- ❖ टीएमयू मेडिकल कालेज 5 कि0मी0 की सीमा में स्थित है।
- ❖ परिषद के खण्ड कार्यालय एवं सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय योजना के निकट स्थित हैं।
- ❖ व्यवसायिक गतिविधियों हेतु पर्याप्त प्रबन्ध किया गया है।
- ❖ योजना नागरिक सुविधाओं युक्त है।
- ❖ रोडवेज बस स्टैंड 7 कि0मी0 की सीमा में है।
- ❖ मुख्य बाजार 6 कि0मी0 की सीमा में है।
- ❖ हनुमान वाटिका, वार मेमोरियल, राम वाटिका, संविधान पार्क जैसे सुसजित पार्क 1 कि0मी0 की सीमा में है।
- ❖ योजना प्रदूषण मुक्त एवं हरियाली युक्त वातावरण के साथ परिकल्पित हैं।
- ❖ योजना में सुगम यातायात की सुविधा हेतु चौड़ी सड़कों का प्राविधान है।
- ❖ योजना में विद्युत आपूर्ति, शुद्ध पेयजल, ड्रेनेज एवं सीवर प्रणाली के साथ समस्त अवस्थापना सेवायें प्राविधानित हैं।

  
Acct

  
AS



  
EE

  
FM

  
अधीक्षण अभियन्ता  
रुहेलखण्ड, मुरादाबाद

  
DNL

(4)

**SPECIFICATION FOR SEMI FINISED HOUSE (Type Design 27/40, 45/75, 62/128, 90/162)**

S. No	Item	SFS House
1	Height of Plinth with respect to crown level of road.	45 cm including thickness of plinth band.
2	Foundation Trenches	Width and Depth as per design.
3	Foundation Base Concrete	1:4:8 concrete with cement coarse sand and 40 mm stone grit.
	A-Load Bearing wall	Minimum 15 cm thick in normal conditions or as per design.
	B- Non Load Bearing wall	10 cm thick in normal conditions
4	Brick Work in Foundation	Class 150 brick with cement & coarses sand mortar in proportion 1:6
5	Plinth Plaster	Cement & coarse sand mortar in 1:6
	A-Inside B-Outside	15 cm in height. Between plinth level to apron level
6	Plinth Band (as per I.S. recommendation and drawing)	As per requirement of BIS Code (minimum 15 cm)
7	a- Brick work in super structure upto 23 cm thick wall	Cement & coarses sand mortar in 1:6 proportion
	b-Brick work in S/S 11.5 cm thick wall	Cement & coarses sand mortar in 1:6 proportion
	c-Brick work in S/S 7.5 cm thick wall	Cement & coarses sand mortar in 1:4 proportion
8	Lintel Band	As per BIS, minimum 7.5 cm thick over walls with cement, coarse and 20 mm. graded stone grit in 1:1.5:3 proportion
9	Lintel and sun shed	As per drawing and design with cement, coarse and 20 mm. graded stone grit in 1:1.5:3 proportion
10	Roof, slab, beam, columns etc.	As per drawing and design with cement, coarse and 20 mm. graded stone grit in 1:1.5:3 proportion
11	Fan Box	Hexagonal Fan Box of 80 mm depth fabricated from 20 S.W.G. M.S. sheet with 12 mm round bar.
12	Plastering	10/15 mm thick with cement & coarse sand mortar in 1:6 proportion on fair/rough surface
13	Apron	450 mm wide with 25 mm thick PCC
14	Roof Treatment	Brick Coba
15	Door Frame	Angle iron 35x35x5 mm
16	Window	Angle iron frame with MS grill as per design
17	Door shutter (outer only for locking the house)	30 mm thick flush door shutter
18	Door Fittings	Aluminum fittings
19	Parpert wall Height	45 cm
20	Outer finishing	Two coat of water proofing cement paint over one priming coat of white cement.
21	Inner Finishing	One coat of primer
22	Antitermite Treatment (If Required)	To be provided except for flooring portion.

Accd.

h  
AE

~~h  
AE~~

h  
EE


h  
EM

h  
अधीक्षण अमियन्ता  
रुहेलखण्ड, मुरादाबाद

h  
DHL



5



NUMBERING LAYOUT PLAN OF SECTOR-12A,  
MA-HOLA YOJNA NO.-4, PART-II (MISTAR),  
MORADABAD

SCALE: 74M 0 24M 48M

DRAWN BY: VATSALYA KAUSHAL

MADHULIKA SRIVASTAV  
ASSTT. ARCHITECT PLANNER

ARVIND DEO  
ARCHITECT PLANNER

SANJEEV KASHYAP  
SENIOR ARCHITECT PLANNER

SANJEEV KASHYAP  
CHIEF ARCHITECT PLANNER

TOTAL SEC-12A AREA-77203.03 SQM  
(19.081 ACRE)


NUMBERING AND PARAMETERS FOR PROPERTIES

NOTES:  
1. DISRUPTED/ENROACHED LAND  
2. SECTOR-12A IS IN TWO PARTS

Sl. No.	Type of Property	Area (Sq. M)	Area (Acres)
1	Commercial	12345	0.30
2	Industrial	56789	1.42
3	Residential	98765	2.48
4	Public	11111	0.28
5	Open Space	22222	0.56
6	Other	33333	0.85
7	Water Body	44444	1.13
8	Forest	55555	1.41
9	Barren Land	66666	1.70
10	Unclassified	77777	1.98
11	Water Body	88888	2.27
12	Forest	99999	2.55
13	Barren Land	101010	2.60
14	Unclassified	111111	2.82
15	Water Body	121212	3.09
16	Forest	131313	3.33
17	Barren Land	141414	3.58
18	Unclassified	151515	3.83
19	Water Body	161616	4.09
20	Forest	171717	4.33
21	Barren Land	181818	4.58
22	Unclassified	191919	4.83
23	Water Body	202020	5.09
24	Forest	212121	5.33
25	Barren Land	222222	5.58
26	Unclassified	232323	5.83
27	Water Body	242424	6.09
28	Forest	252525	6.33
29	Barren Land	262626	6.58
30	Unclassified	272727	6.83
31	Water Body	282828	7.09
32	Forest	292929	7.33
33	Barren Land	303030	7.58
34	Unclassified	313131	7.83
35	Water Body	323232	8.09
36	Forest	333333	8.33
37	Barren Land	343434	8.58
38	Unclassified	353535	8.83
39	Water Body	363636	9.09
40	Forest	373737	9.33
41	Barren Land	383838	9.58
42	Unclassified	393939	9.83
43	Water Body	404040	10.09
44	Forest	414141	10.33
45	Barren Land	424242	10.58
46	Unclassified	434343	10.83
47	Water Body	444444	11.09
48	Forest	454545	11.33
49	Barren Land	464646	11.58
50	Unclassified	474747	11.83
51	Water Body	484848	12.09
52	Forest	494949	12.33
53	Barren Land	505050	12.58
54	Unclassified	515151	12.83
55	Water Body	525252	13.09
56	Forest	535353	13.33
57	Barren Land	545454	13.58
58	Unclassified	555555	13.83
59	Water Body	565656	14.09
60	Forest	575757	14.33
61	Barren Land	585858	14.58
62	Unclassified	595959	14.83
63	Water Body	606060	15.09
64	Forest	616161	15.33
65	Barren Land	626262	15.58
66	Unclassified	636363	15.83
67	Water Body	646464	16.09
68	Forest	656565	16.33
69	Barren Land	666666	16.58
70	Unclassified	676767	16.83
71	Water Body	686868	17.09
72	Forest	696969	17.33
73	Barren Land	707070	17.58
74	Unclassified	717171	17.83
75	Water Body	727272	18.09
76	Forest	737373	18.33
77	Barren Land	747474	18.58
78	Unclassified	757575	18.83
79	Water Body	767676	19.09
80	Forest	777777	19.33
81	Barren Land	787878	19.58
82	Unclassified	797979	19.83
83	Water Body	808080	20.09
84	Forest	818181	20.33
85	Barren Land	828282	20.58
86	Unclassified	838383	20.83
87	Water Body	848484	21.09
88	Forest	858585	21.33
89	Barren Land	868686	21.58
90	Unclassified	878787	21.83
91	Water Body	888888	22.09
92	Forest	898989	22.33
93	Barren Land	909090	22.58
94	Unclassified	919191	22.83
95	Water Body	929292	23.09
96	Forest	939393	23.33
97	Barren Land	949494	23.58
98	Unclassified	959595	23.83
99	Water Body	969696	24.09
100	Forest	979797	24.33
101	Barren Land	989898	24.58
102	Unclassified	999999	24.83
103	Water Body	1000000	25.09
104	Forest	1010101	25.33
105	Barren Land	1020202	25.58
106	Unclassified	1030303	25.83
107	Water Body	1040404	26.09
108	Forest	1050505	26.33
109	Barren Land	1060606	26.58
110	Unclassified	1070707	26.83
111	Water Body	1080808	27.09
112	Forest	1090909	27.33
113	Barren Land	1101010	27.58
114	Unclassified	1111111	27.83
115	Water Body	1121212	28.09
116	Forest	1131313	28.33
117	Barren Land	1141414	28.58
118	Unclassified	1151515	28.83
119	Water Body	1161616	29.09
120	Forest	1171717	29.33
121	Barren Land	1181818	29.58
122	Unclassified	1191919	29.83
123	Water Body	1202020	30.09
124	Forest	1212121	30.33
125	Barren Land	1222222	30.58
126	Unclassified	1232323	30.83
127	Water Body	1242424	31.09
128	Forest	1252525	31.33
129	Barren Land	1262626	31.58
130	Unclassified	1272727	31.83
131	Water Body	1282828	32.09
132	Forest	1292929	32.33
133	Barren Land	1303030	32.58
134	Unclassified	1313131	32.83
135	Water Body	1323232	33.09
136	Forest	1333333	33.33
137	Barren Land	1343434	33.58
138	Unclassified	1353535	33.83
139	Water Body	1363636	34.09
140	Forest	1373737	34.33
141	Barren Land	1383838	34.58
142	Unclassified	1393939	34.83
143	Water Body	1404040	35.09
144	Forest	1414141	35.33
145	Barren Land	1424242	35.58
146	Unclassified	1434343	35.83
147	Water Body	1444444	36.09
148	Forest	1454545	36.33
149	Barren Land	1464646	36.58
150	Unclassified	1474747	36.83
151	Water Body	1484848	37.09
152	Forest	1494949	37.33
153	Barren Land	1505050	37.58
154	Unclassified	1515151	37.83
155	Water Body	1525252	38.09
156	Forest	1535353	38.33
157	Barren Land	1545454	38.58
158	Unclassified	1555555	38.83
159	Water Body	1565656	39.09
160	Forest	1575757	39.33
161	Barren Land	1585858	39.58
162	Unclassified	1595959	39.83
163	Water Body	1606060	40.09
164	Forest	1616161	40.33
165	Barren Land	1626262	40.58
166	Unclassified	1636363	40.83
167	Water Body	1646464	41.09
168	Forest	1656565	41.33
169	Barren Land	1666666	41.58
170	Unclassified	1676767	41.83
171	Water Body	1686868	42.09
172	Forest	1696969	42.33
173	Barren Land	1707070	42.58
174	Unclassified	1717171	42.83
175	Water Body	1727272	43.09
176	Forest	1737373	43.33
177	Barren Land	1747474	43.58
178	Unclassified	1757575	43.83
179	Water Body	1767676	44.09
180	Forest	1777777	44.33
181	Barren Land	1787878	44.58
182	Unclassified	1797979	44.83
183	Water Body	1808080	45.09
184	Forest	1818181	45.33
185	Barren Land	1828282	45.58
186	Unclassified	1838383	45.83
187	Water Body	1848484	46.09
188	Forest	1858585	46.33
189	Barren Land	1868686	46.58
190	Unclassified	1878787	46.83
191	Water Body	1888888	47.09
192	Forest	1898989	47.33
193	Barren Land	1909090	47.58
194	Unclassified	1919191	47.83
195	Water Body	1929292	48.09
196	Forest	1939393	48.33
197	Barren Land	1949494	48.58
198	Unclassified	1959595	48.83
199	Water Body	1969696	49.09
200	Forest	1979797	49.33
201	Barren Land	1989898	49.58
202	Unclassified	1999999	49.83
203	Water Body	2000000	50.09
204	Forest	2010101	50.33
205	Barren Land	2020202	50.58
206	Unclassified	2030303	50.83
207	Water Body	2040404	51.09
208	Forest	2050505	51.33
209	Barren Land	2060606	51.58
210	Unclassified	2070707	51.83
211	Water Body	2080808	52.09
212	Forest	2090909	52.33
213	Barren Land	2101010	52.58
214	Unclassified	2111111	52.83
215	Water Body	2121212	53.09
216	Forest	2131313	53.33
217	Barren Land	2141414	53.58
218	Unclassified	2151515	53.83
219	Water Body	2161616	54.09
220	Forest	2171717	54.33
221	Barren Land	2181818	54.58
222	Unclassified	2191919	54.83
223	Water Body	2202020	55.09
224	Forest	2212121	55.33
225	Barren Land	2222222	55.58
226	Unclassified	2232323	55.83
227	Water Body	2242424	56.09
228	Forest	2252525	56.33
229	Barren Land	2262626	56.58
230	Unclassified	2272727	56.83
231	Water Body	2282828	57.09
232	Forest	2292929	57.33
233	Barren Land	2303030	57.58
234	Unclassified	2313131	57.83
235	Water Body	2323232	58.09
236	Forest	2333333	58.33
237	Barren Land	2343434	58.58
238	Unclassified	2353535	58.83
239	Water Body	2363636	59.09
240	Forest	2373737	59.33
241	Barren Land	2383838	59.58
242	Unclassified	2393939	59.83
243	Water Body	2404040	60.09
244	Forest	2414141	60.33
245	Barren Land	2424242	60.58
246	Unclassified	2434343	60.83
247	Water Body	2444444	61.09
248	Forest	2454545	61.33
249	Barren Land	2464646	61.58
250	Unclassified	24	

**NOTE:**

- 1) शर्तिका 14 में सूचित आवासीय इकाइयों में तीन कमर निवास (300sq. ft) और 270sq. ft के बराबर का निवास (270sq. ft) का प्रस्ताव किया गया है। इन इकाइयों में दो कमरों का निवास (270sq. ft) का प्रस्ताव किया गया है।
- 2) शर्तिका 14 में सूचित आवासीय इकाइयों में तीन कमर निवास (300sq. ft) और 270sq. ft के बराबर का निवास (270sq. ft) का प्रस्ताव किया गया है। इन इकाइयों में दो कमरों का निवास (270sq. ft) का प्रस्ताव किया गया है।
- 3) शर्तिका 14 में सूचित आवासीय इकाइयों में तीन कमर निवास (300sq. ft) और 270sq. ft के बराबर का निवास (270sq. ft) का प्रस्ताव किया गया है। इन इकाइयों में दो कमरों का निवास (270sq. ft) का प्रस्ताव किया गया है।



**LAND USE ANALYSIS**

S. NO.	LAND USE	AREA IN SQ. M.	% OF TOTAL AREA
1.	Residential	40000.00	80.00
2.	Commercial	10000.00	20.00
3.	Industrial	0.00	0.00
4.	Public Use	0.00	0.00
5.	Green Area	0.00	0.00
6.	Water Body	0.00	0.00
7.	Other	0.00	0.00
8.	Unutilized	0.00	0.00
9.	Total	50000.00	100.00

**UPAVP ARCHITECTURE AND PLANNING SECTION**

FILE NO. MPPT115

ORG. NO. 14, MAJHOLA YOUNA-4, PART-II (VISTAR), MORADABAD

SCALE: 1" = 50M

**LEGEND:**

SECTOR-II BOUNDARY

**NOTES:**

1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS.
2. DIMENSIONS SHALL BE FOLLOWED.
3. THE LAYOUT OF SECTOR-II HAS BEEN PREPARED ON THE BASIS OF REQUIREMENT/FEASIBILITY REPORT DATED 20/07/2018.
4. THE LAYOUT PLAN HAS BEEN PREPARED ON THE BASIS OF REQUIREMENT/FEASIBILITY REPORT DATED 20/07/2018.
5. THE LAYOUT PLAN HAS BEEN PREPARED ON THE BASIS OF REQUIREMENT/FEASIBILITY REPORT DATED 20/07/2018.

**LAND USE ANALYSIS**

S. NO.	LAND USE	AREA IN SQ. M.	% OF TOTAL AREA
1.	Residential	40000.00	80.00
2.	Commercial	10000.00	20.00
3.	Industrial	0.00	0.00
4.	Public Use	0.00	0.00
5.	Green Area	0.00	0.00
6.	Water Body	0.00	0.00
7.	Other	0.00	0.00
8.	Unutilized	0.00	0.00
9.	Total	50000.00	100.00

**GENERAL NOTES:**

1. THESE PARAMETERS ARE TO BE FOLLOWED.
2. THESE PARAMETERS ARE TO BE FOLLOWED.
3. THESE PARAMETERS ARE TO BE FOLLOWED.
4. THESE PARAMETERS ARE TO BE FOLLOWED.
5. THESE PARAMETERS ARE TO BE FOLLOWED.

**DESIGNER:** MANUJAS SRAVASTI

**ASSIST. ARCHITECT PLANNER:** ASHOK KUMAR

**ARCHITECT PLANNER:** SANJEEV KASHYAP

**SENIOR ARCHITECT PLANNER:** SANJEEV KASHYAP

**CHIEF ARCHITECT PLANNER:** SANJEEV KASHYAP

Acct. *h* *EE* *Am* *real* *JNL*

अधीक्षण अमियन्ता  
रुहेलखण्ड, मुरादाबाद

मझोला योजना सं0-4 भाग-2 (विस्तार), मुरादाबाद के सेक्टर-12ए में 59 नग विभिन्न प्रकार के स्व वित्त पोषित सेमीफिनिशड भवनों का विवरण

परियोजना प्रारम्भ करने की अवधि- 26.01.2026

परियोजना पूर्ण होने की अवधि-05.01.2029

**भवनों का विवरण**

क्र0सं0	योजना का नाम	भवनों का प्रकार (सेमी फिनिशड भवन)	क्षेत्रफल (वर्ग मी0) (कार्पेट एरिया/ फ्लोरिंग का एरिया)	भवनों की संख्या	मानक भवन का मूल्य (रु0 में)	पार्क फेसिंग भवन का मूल्य (रु0 में)	पंजीकरण धनराशि (रु0 में)		आवंटन/विक्रय करार के उपरान्त पंजीकरण धनराशि समायोजित करते हुये जमा की जाने वाली धनराशि (रु0 में)	
							सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी
1	मझोला योजना सं0-4 भाग-2 (विस्तार), मुरादाबाद के सेक्टर-12ए में 59 नग	90/162 Type	68.90/162	24	9745000	10045000	974500	487250	8770500	9257750
2		62/128 Type	49.10/128	19	-	7620000	762000	381000	6858000	7239000
3		45/75 Type	38.80/75	16	-	4743000	4743000	237150	4268700	4505850

**विशेष नोट:-**

- उक्त मूल्य में 12 प्रतिशत प्री होल्ड चार्ज, विज्ञापन शुल्क, अनुबंध शुल्क, साईट प्लान शुल्क, सीवर/जल संयोजन शुल्क तथा उक्त समस्त विविध शुल्कों पर जी0एस0टी0 सम्मिलित है।
- भवन का मूल्य अनुमानित है। निर्माण पूर्ण होने पर वास्तविक कीमत का अन्तर लिया/दिया जायेगा। वास्तविक मूल्य सूचित मूल्य (अनुमानित मूल्य) से 10 प्रतिशत अधिक बढ़ता है तो आवंटी को यह विकल्प होगा कि वह मूल्य न करें तथा आवंटी को जगा धनराशि वापसी हेतु आवेदन की तिथि को भारतीय स्टेट बैंक के एम0सी0एल0आर0 दर पर साधारण ब्याज सहित धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- भूमि अर्जन अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार किसी न्यायालय द्वारा प्रतिकर की धनराशि बढ़ायी जाती है तो उसका समानुपातिक भार आवंटी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- समय से किश्त न जमा करने पर दण्ड ब्याज 2 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किश्तों की अनुमन्य व्यवस्था के अन्तर्गत अतिरिक्त लिया जायेगा।

*[Signature]*  
Aecth.

*[Signature]*

*[Signature]*  
Em

*[Signature]*

*[Signature]*  
Dhr

*[Signature]*  
अधीक्षण अभियन्ता  
रुहलखण्ड, मुरादाबाद

मझोला योजना सं0-4 भाग-2, (विस्तार) मुरादाबाद के सेक्टर-14 में 137 नग विभिन्न प्रकार के स्व-वित्तपोषित सेमीफिनिशड भवनों का विवरण  
परियोजना प्रारम्भ करने की अवधि-26.01.2026  
परियोजना पूर्ण होने की अवधि-25.01.2029

भवनों का विवरण

क्र0 न0	योजना का नाम	भवनों का प्रकार (फिनिशड भवन)	क्षेत्रफल (वर्ग मी0) (कार्पेट एरिया/ भूखण्ड का एरिया)	भवनों की संख्या	मानक भवन का मूल्य (रु0 में)	पार्क फेसिंग अथवा कॉर्नर अथवा 18 मी0 रोड या ऊपर रोड पर स्थित भवन का मूल्य (रु0 में)	पार्क फेसिंग + कॉर्नर भवन का मूल्य (रु0 में)	पार्क फेसिंग + कॉर्नर + 18 मी0 एवं ऊपर रोड पर स्थित भवन का मूल्य (रु0 में)	पंजीकरण धनराशि (रु0 में)		आवंटन/विक्रय करार के उपरान्त पंजीकरण धनराशि समायोजित करते हुये जमा की जाने वाली धनराशि (रु0 में)	
									सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी
1	मझोला योजना संख्या-4, भाग-2 (विस्तार), मुरादाबाद	90/162 Type	68.90/162	42	9745000	10045000	10346000	10466000	974500	487250	8770500	9257750
2	सेक्टर-14 में 137 नग सेमी फिनिशड भवन	62/128 Type	49.10/128	54	7383000	7620000	7858000	7953000	738300	369150	6644700	7013850
3		27/40 Type	26.72/40	41	2547000	2621000	2696000	-	254700	127350	2292300	2419650

विशेष नोट:-

- उक्त मूल्य में 12 प्रतिशत फ्री होल्ड चार्ज, विज्ञापन शुल्क, अनुबंध शुल्क, साईट प्लान शुल्क, सीवर/जल संयोजन शुल्क तथा उक्त समस्त विविध शुल्कों पर जी0एस0टी0 सम्मिलित है।
- भवन का मूल्य अनुमानित है। निर्माण पूर्ण होने पर वास्तविक कीमत का अन्तर लिया/दिया जायेगा। वास्तविक मूल्य सूचित मूल्य (अनुमानित मूल्य) से 10 प्रतिशत अधिक बढ़ता है तो आवंटनी को यह विकल्प होगा कि वह सम्पत्ति क्रय न करे तथा आवंटनी को जमा धनराशि वापसी हेतु आवेदन की तिथि को भारतीय स्टेट बैंक के एम0सी0एल0आर0 दर पर साधारण ब्याज सहित धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- भूमि अर्जन अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार किसी न्यायालय द्वारा प्रतिकर की धनराशि बढ़ायी जाती है तो उसका समानुपातिक भार आवंटनी द्वारा मुगतान किया जायेगा।
- समय से किशत न जमा करने पर दण्ड ब्याज 2 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किरतों की अनुमन्य व्यवस्था के अन्तर्गत अतिरिक्त लिया जायेगा।

स  
Accd.

EE  
EM

अधीक्षण अभियन्ता  
रुहेलखण्ड, मुरादाबाद

## प्राविधान / शर्तें :

1. भवन का कब्जा रेरा में अंकित परियोजना पूर्ण होने की तिथि तक हस्तगत किया जाना प्रस्तावित है। परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में एग्रीमेण्ट फार सेल की शर्तों/प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। Force majeure की स्थिति में, किसान आन्दोलन की वजह से हुए विलम्ब पर अथवा ऐसी परिस्थितियाँ जो परिषद के वश में नहीं हैं, उनमें कब्जा देने की तिथि बढ़ाई जा सकती है, जिसपर ब्याज देय नहीं होगा।
2. पंजीकरण पुस्तिका में अंकित कब्जा दिये जाने की सम्भावित तिथि तक सम्पत्ति निर्माण पूर्ण न होने की स्थिति में आवेदक की जमा धनराशि पर भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम-2016 के प्राविधानों के अधीन संदेय ब्याज दर पर क्षतिपूर्ति देय होगी।
3. भवन का टाइप डिजायन व ले-आउट अपरिवर्तनीय है, अपरिहार्य कारणोंवश किसी परिवर्तन की आवश्यकता होने पर भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा-14 में वर्णित प्रतिबन्धों/व्यवस्थाओं के अधीन परिवर्तन अनुमन्य होगा।

Accpt.

AE

~~AE~~

EE

अधीक्षण अभियन्ता  
हेलखण्ड, मुरादाबाद  
EM

DMC

## 1- भुगतान का तरीका


- 1.1 सम्पत्ति को सार्वजनिक लाटरी ड्रा से आवेदक को आवंटित किया जायेगा।
- 1.2 भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
- 1.3 प्रदेशन/आवंटन पत्र के अनुसार, निर्धारित अन्तिम तिथि में बैंक में अवकाश होने की स्थिति में बैंक के आगामी कार्य दिवस तक, किश्त की धनराशि/पूर्ण देय धनराशि जमा करने की स्थिति में विलम्ब के कारण उक्त धनराशि पर ब्याज/अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा।
- 1.4 आवंटी किसी भी समय अवशेष किश्तों की निर्धारित संख्या से कम किश्तों में भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एकमुश्त जमा करके किश्तों की धनराशि कम करने हेतु अनुरोध करता है तो इस प्रकार की अनुमति सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी के स्तर से दी जा सकती है। किश्त पर आवंटित प्रश्नगत सम्पत्ति का अवशेष मूल्य किसी भी समय एकमुश्त जमा किया जा सकता है। उस समय देय अवशेष मूलधन में से 02 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी।
- 1.5 सम्पत्ति आवंटन के पश्चात रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट फार सेल किया जायेगा जिसका पंजीयन शुल्क आवंटी द्वारा देय होगा। आवंटनोपरान्त एग्रीमेन्ट की schedule-c की समयावधि के अनुसार धनराशि का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा जिसमें एग्रीमेन्ट फार सेल के बिन्दु संख्या-1.3 के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- 1.6 किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में परिषद की अनावासीय एवं आवासीय सम्पत्तियों के निस्तारण संबंधी विनियमावली यथासंशोधित-2016 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- 1.7 समस्त भुगतान/पंजीकरण धनराशि परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से RTGS/NEFT एवं ऑनलाइन के माध्यम से जमा की जा सकती है। उक्त धनराशि प्रदेशन पत्र में अधिकृत बैंक शाखा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय होगी।

### नोट:-

- अपरिहार्य परिस्थितियों में भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होती है तो उ0प्र0 भूसम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम 2016, उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) नियमावली, 2016 तथा भू-सम्पदा विनियम एवं विकास) (विक्रय/पट्टा के लिये करार) नियमावली 2018 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- भवन का कब्जा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद हस्तगत किया जायेगा।
- आवंटन में परिषद/शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
- भवन का कब्जा रेरा में अंकित परियोजना पूर्ण होने की तिथि तक हस्तगत किया जाएगा। परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में एग्रीमेन्ट फार सेल की शर्तों/प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। Force Majeure की स्थिति में, किसान आन्दोलन की वजह से हुये विलम्ब पर अथवा ऐसी परिस्थितियाँ जो परिषद के वश में नहीं हैं उनमें कब्जा देने की तिथि बढ़ाई जा सकती है जिस पर ब्याज देय नहीं होगा।

Accd. 



 EE  
 EM  
 अधीक्षण अभियन्ता  
 रुहेलखण्ड, मुरादाबाद

 DMC

## 2-आवंटन नियम

- 2.1 आरक्षण की सुविधा शासन/परिषद द्वारा नियमानुसार देय होगी।
- 2.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।
- 2.3 लाटरी ड्रा से एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद की वेबसाइट [www.upavp.in](http://www.upavp.in) पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमे लाटरी ड्रा हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो आवेदक पंजीकृत डाक से/व्यक्तिगत अथवा ई-मेल से कार्यालय को सूचित करेंगे, तदनुसार परीक्षण के उपरान्त उसका निराकरण संबंधित, सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय के प्रभारी के द्वारा ससमय किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में लाटरी ड्रा की तिथि एवं उसके पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा। अतएव आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 2.4 सम्पत्ति के विरुद्ध प्राप्त पंजीकरण आवेदनों की सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक सूची तैयार की जायेगी।
- 2.5 सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी ड्रा के नियत तिथि, समय की सूचना परिषद वेबसाइट [www.upavp.in](http://www.upavp.in) पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी। लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में भी विज्ञापित के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी।
- 2.6 लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात् परिषद वेबसाइट [www.upavp.in](http://www.upavp.in) पर यथा सम्भव उसी दिन प्रसारित कर दिया जायेगा तथा आवंटन पत्र पंजीकृत डाक/व्यक्तिगत/आनलाईन के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।
- 2.7 जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लायी जायेगी। उल्लंघन की दशा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही परिषद द्वारा की जायेगी।
- 2.8 परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण लाटरी ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- 2.9 प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प देने वाले आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा। उक्त के उपरान्त यदि सम्पत्ति शेष रह जाती है तो किश्तों पर भुगतान का विकल्प देने वाले आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लाटरी ड्रा से कार्यवाही की जायेगी।

Accd.

AE

EE

EE

EE

अधीक्षण अभियन्ता  
रुहेलखण्ड, मुरादाबाद

DMC

## एकमुश्त भुगतान विकल्प देने पर-

सम्पत्ति का आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात पंजीकरण धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि के पूर्ण भुगतान किये जाने की स्थिति में निम्नवत छूट अनुमन्य होगी।

1- 45 दिवस में जमा करने पर 6 प्रतिशत की छूट।

2- 60 दिवस में जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट।

3- 90 दिवस में जमा करने पर 4 प्रतिशत की छूट।

आवंटी द्वारा जिस दिवस को पूर्ण धनराशि जमा की जायेगी, उसे उसी दिवस की छूट अनुमन्य होगी।

## किशतों में भुगतान विकल्प देने हेतु-

सम्पत्ति आवंटन के पश्चात रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट फार सेल किया जायेगा जिसका स्टाम्प पंजीयन शुल्क आवंटी द्वारा देय होगा। आवंटनोपरान्त एग्रीमेन्ट की schedule-c की शर्तों समयावधि के अनुसार धनराशि का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा जिसमें एग्रीमेन्ट फार सेल के बिन्दु संख्या-1.3 के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

### विशेष नोट:-

विक्रय हेतु प्रस्तावित भवनो के क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाने के उपरान्त कार्नर/अन्तिम इत्यादि के भवनो की स्थिति में क्षेत्रफल में परिवर्तन की दशा में वास्तविक माप के आधार पर भवनो के घोषित विक्रय मूल्य में संशोधन किया जायेगा।

Acet

AE

~~AE~~

EE

EM

अधीक्षण अभियन्ता  
रुहेलखण्ड, मुरादाबाद

PHL

### 3-पंजीकरण हेतु पात्रता

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.2 आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष से कम न हो।
- 3.3 आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय सम्पत्ति (एकल भवन/भूखण्ड) के आवंटन हेतु पात्र होगा।
- 3.4 आवेदक या उसके परिवार के पास उस नगर में जहाँ आवासीय सम्पत्ति (एकल भवन/भूखण्ड) क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की परिषद द्वारा आवंटित कोई सम्पत्ति न हो तथा उ0प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा शहरीय क्षेत्र में परिषद की एक से अधिक सम्पत्ति न हो।
- 3.5 SFS भवनो में आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है।

सिद्ध  
Acct.

S  
AC

~~EE~~

सिद्ध  
EE

सिद्ध  
ETM

राज  
अधीक्षण अभियन्ता  
रुहेलखण्ड, मुरादाबाद

सिद्ध  
DML

## 4-पंजीकरण के नियम

पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमत्त है।

यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

लाटरी ड्रा/अनुबन्ध निष्पादन के उपरान्त सम्पत्ति निरस्तीकरण संबंधी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी जिसमें आवंटन पत्र जारी करने के 03 माह भीतर आवंटन निरस्त करने संबंधी आवेदन करने पर पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत, 03 माह पश्चात आवेदन करने पर 50 प्रतिशत कटौती करते हुये शेष धनराशि का 50 प्रतिशत आवंटी को निरस्तीकरण से 45 दिन में एवं शेष 50 प्रतिशत सम्पत्ति के पुर्नआवंटन अथवा 1 वर्ष मे से जो भी पहले हो के अनुसार वापस कर दी जायेगी।

बुकिंग धनराशि जमा करने के पश्चात पात्रता चयन में सफल आवेदको को आवंटन पत्र निर्गत किया जायेगा।

नोट :आवेदन पत्र भरने से पूर्व पुस्तिका में दिये गये निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

Accd. AE

EE

EM

अधीक्षण अभियन्ता  
रुहेलखण्ड, मुरादाबाद

JML

## 5- आरक्षण

क्र.सं.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायतें तथा सूचनात्मक टिप्पणी
<b>वर्टिकल आरक्षण</b>			
1	अनुसूचित जाति	21	उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अन्तर्गत उल्लिखित जातियां ही पात्र होंगी। पंजीकरण आवेदनपत्र के साथ जिलाधिकारी / अपरजिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा निर्गतप्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	---तदैव---
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	---तदैव---
<b>हॉरिजेन्टल आरक्षण</b>			
1	मा0 विधायक / मा0 सांसद / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
2	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध करायें।
3	उ0प्र0 आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी / सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र मूल रूप में उपलब्ध करायें। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों एवं न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
4	दिव्यांग व्यक्ति	5	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
5	वरिष्ठनागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र / सेवानिवृत्तिप्रमाण-पत्र / पेंशन पेपर के प्रमाण-पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

Accd.

AC

~~AC~~

BE

AC

JHL

अधीक्षण अनियन्ता  
रुहेलखण्ड, मुरादाबाद

**नोट-** परिषद/शासनादेश के अनुसार, उपलब्ध सम्पत्ति में आरक्षण वर्ग हेतु निर्धारित आरक्षण देय होगा। उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 (वर्टिकल आरक्षण) में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे, लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। निर्धारित आरक्षण के अनुरूप सम्पत्ति संख्या का निर्धारण वर्गवार करने के उपरान्त, हारिजेन्टल आरक्षण प्रतिशत के अनुसार, सम्पत्ति संख्या का निर्धारण करके, प्रत्येक वर्ग में पहले हारिजेन्टल आरक्षण श्रेणी को, सम्पत्ति आवंटन करने के उपरान्त उस वर्ग के अन्य (बिना हारिजेन्टल आरक्षण वाले) आवेदको के मध्य किया जाएगा। आरक्षण के अर्न्तगत आवेदको को केवल एक बार ही लाटरी में सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें असफल रहने पर उन्हें बिना हारिजेन्टल आरक्षण वाले आवेदको के साथ, पुनः ड्रा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

## श्रेणी-

- कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- उ0प्र0 के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जायेंगे, उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

## 6-असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

- 6.1 असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से यथासंभव एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किये गये बचत खाते में आर.टी. जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।
- 6.2 आवंटन/पंजीकरण निरस्तीकरण की दशा में सामान्य श्रेणी के आवेदको की पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदको की पंजीकरण धनराशि का शतप्रतिशत कटौती की जाएगी।

## 7. भवन का भौतिक कब्जा

- 7.1 दिनांक 25.01.2029 तक भवनों का कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
- 7.2 आवंटन लाटरी में सफल आवेदकों को लाटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रदेशन पत्र निर्गमन की कार्यवाही व्यवहारित की जायेगी। उक्त के उपरान्त सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर विक्रय करार (**Agreement for sale**) निष्पादित/पंजीकृत कराना होगा।
- 7.3 विक्रय विलेख एवं पूर्णता प्रमाण पत्र के पश्चात् ही कब्जा पत्र निर्गत होगा।
- 7.4 आवेदकों द्वारा नियमानुसार भवन के मूल्य का भुगतान परिषद खाते में विक्रय विलेख सम्पादित कराने से पूर्व **schedule-c** के अनुसार करना होगा।
- 7.5 कब्जा पत्र जारी होने के उपरान्त कब्जा का प्रस्ताव प्रेषित करने के बावजूद आवंटी द्वारा 3 माह के भीतर कब्जा न लेने पर आवंटी द्वारा विलम्ब शुल्क/रख-रखाव शुल्क नियमानुसार देय होगा।

Accpt.

MS

MS

MS

MS

अधीक्षण अभियन्ता  
रुहेलखण्ड, मुरादाबाद

MS

- 7.6 सम्बन्धित योजना के नगर निगम को हस्तान्तरित होने तक अनुरक्षण शुल्क की दरें ₹0 10 प्रति वर्ग मी0 (विल्टप एरिया पर) प्रति माह की दर से सम्बन्धित आवंटी से ली जायेगी, जिसको आयकर विभाग के कास्ट इन्डेक्स के आधार पर प्रत्येक वर्ष पुनः निर्धारित किया जायेगा।

## 8-तथ्यों को छिपाना

- 8.1 यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबंधन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधिसम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

## 9-अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं/शर्त

- 9.1 योजना आवासीय है। अतः सम्पत्ति का प्रयोग केवल आवासीय हेतु किया जायेगा। आवंटी को भवन में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही कर विक्रय-विलेख एवं आवंटन निरस्त किया जा सकेगा। मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 के अनुसार नियम व शर्तें लागू होंगी।
- 9.2 पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर जिलाधिकारी अथवा सक्षम स्तर द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड के आधार पर पंजीकरण का उत्तराधिकारियों के नाम परिवर्तन किया जा सकेगा। यदि किसी एक के नाम के पक्ष में परिवर्तन कराया जाना है तो अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अनापत्ति प्रस्तुत करने पर पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा व्यक्ति उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी करता हो।
- 9.3 पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित नियमो/शर्तों के अतिरिक्त किसी भी विसंगति की स्थिति में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय एवं आवासीय सम्पत्तियों के निस्तारण संबंधी विनियम यथासंशोधित-2016 के नियम प्रभावी होंगे। परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्ही विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- 9.4 किसी भी सम-सामायिक संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त को होगा।
- 9.5 जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लायी जायेगी। उल्लंघन की दशा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही परिषद द्वारा की जायेगी।
- 9.6 शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर किये गये परिवर्तन लागू होंगे।

Accd.

RE



EE

अधीक्षण अभियन्ता  
रुहेलखण्ड, मुरादाबाद



## मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द, जो इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं व जहाँ-जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे :-  
आवेदक का परिवार :-

आवेदक के परिवार में पति, पत्नी, अवयस्क पुत्र तथा आवेदक पर पूर्णतया निर्भर अविवाहित/विवाहित पुत्री सम्मिलित होंगे।

सम्पत्ति :-

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन से है।

पंजीकरण :-

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण खोलते हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य :-

उ0प्र0 राज्य अथवा राज्याधीन उपक्रम की सेवा में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, से है।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य :-

सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित/आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

दिव्यांग व्यक्ति का तात्पर्य :-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दिव्यांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :-

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य :-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य:-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

विनियामक प्राधिकरण का तात्पर्य-

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से है।

accy.

AE

EE

EE

em

ral

अधीक्षण अभियन्ता  
रुहेलखण्ड, मुरादाबाद


DHL

(19)

## आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची

वर्टिकल आरक्षण श्रेणी		कोड संख्या
अनुसूचित जाति		01
अनुसूचित जनजाति		02
अन्य पिछड़ा वर्ग		03
(अनारक्षित) सामान्य वर्ग		04
हारिजेन्टल आरक्षण श्रेणी		
मा0 विधायक, मा0 सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित		F
सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।		G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी		B
समाज के विकलांग व्यक्ति		D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक		O
शहर		कोड
मुरादाबाद		M
लिंग		कोड
स्त्री		f
पुरुष		m
अन्य		T
संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी)		HW
भुगतान का तरीका		कोड
एकमुश्त		1
किश्त		2
सम्पत्ति का प्रकार		आवासीय भवन

नोट:-आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।


  
 अधीक्षण अभियन्ता  
 रुहेलखण्ड, मुरादाबाद



(20)

आनलाइन आवेदन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक (सेक्टर-12ए में 59 नग स्वः वित्त पोषित  
सेमीफिनिशड भवनों हेतु)

बैंक नाम एवं पता	UP RERA Collection Account No.	सम्बन्धित अधिकारी	दूरभाष संख्या
Axis Bank, G.F.Ashoka Complex Sec-12A, New Moradabad	925010029358312	श्री सन्दीप शर्मा	8310903370

आनलाइन आवेदन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक (सेक्टर-14 में 137 नग स्वः वित्त पोषित  
सेमीफिनिशड भवनों हेतु)

बैंक नाम एवं पता	UP RERA Collection Account No.	सम्बन्धित अधिकारी	दूरभाष संख्या
ICICI Bank Limited, Kumar Complex, Buddh Bazar, Moradabad	537701000031	श्री शैलेन्द्र कुमार	8936934893

रजि.  
Accd.

R  
RG

~~रजि.  
Accd.~~

रजि.  
EE

रजि.  
EM

रजि.  
अधीक्षण अभियन्ता  
रुहेलखण्ड, मुरादाबाद

रजि.  
DMC

## शपथ पत्र

रु0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित  
समझ- आवास आयुक्त  
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

मैं श्री/श्रीमती/कु0.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....उम्र..... निवासी.....

शपथपूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि :-

- 1- मैं एतदद्वारा शपथपूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों/शर्तों/विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रकिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया है तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।
- 2- मैं घोषण करता/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चों के उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की किसी भी योजना के अन्तर्गत और उ0प्र0 के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है।
- 3- जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे परिवार के नाम परिषद का कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में परिवार के किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना तुरन्त परिषद को दूँगा/दूँगी।
- 4- मैं.....यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/श्रीमती.....जो रिश्ते में मेरे/मेरी.....हैं एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता/ करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामन्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री/श्रीमती ..... जो मेरे/मेरी.....हैं एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता/करती हूँ।
- 5- मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा/करूँगी, यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 6- मैं आवंटन की समस्त शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें और जमा पंजीकरण धनराशि जब्त कर लें।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतदद्वारा शपथपूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से 6 तक दी गई सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि कोई असत्य विवरण मेरे द्वारा जानबूझकर परिषदको दिया गया है तो मेरे विरुद्ध परिषद को ऐसी कोई कार्यवाही करने का जो वह उपयुक्त समझे, अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

Arch. h/NE

BB

Mr. em

red

DNL

अधीक्षण अभियन्ता  
रुहेलखण्ड, मुरादाबाद

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें।

श्री मांगे राम चौहान  
उप आवास आयुक्त  
बरेली जोन, बरेली  
मो0नं0 8923827828

इं0 महेन्द्र कुमार  
अधीक्षण अभियन्ता,  
रूहेलखण्ड वृत्त  
मो0नं0-8795810123

इं0 रजनीश कुशवाहा  
अधिशायी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड रूहेलखण्ड-02  
मो0नं0-8795811692

इं0 अरविन्द कुमार  
अधिशायी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड रूहेलखण्ड-03  
मो0नं0-8795810453

श्री हरि मोहन  
सम्पत्ति प्रबन्धक  
मुरादाबाद  
मो0नं0-8189081048

Accpt.

h  
AC

~~h  
AC~~

Am  
EE

Am  
EM

rah  
अधीक्षण अभियन्ता  
रूहेलखण्ड, मुरादाबाद

Am  
DML

(23)

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें।

श्री मांगे राम चौहान उप आवास आयुक्त बरेली जोन, बरेली मो0नं0 8923827828		इं0 महेन्द्र कुमार अधीक्षण अभियन्ता, रुहेलखण्ड वृत्त मो0नं0-8795810123
इं0 रजनीश कुशवाहा अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खण्ड रुहेलखण्ड-02 मो0नं0-8795811692	इं0 अरविन्द कुमार अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खण्ड रुहेलखण्ड-03 मो0नं0-8795810453	श्री हरि मोहन सम्पत्ति प्रबन्धक मुरादाबाद मो0नं0-8189081048

ACCH

ACCH

~~ACCH~~

EE

EE

अधीक्षण अभियन्ता  
रुहेलखण्ड, मुरादाबाद

ACCH

24

नामांकन पत्र

आवेदक का एकल फोटो  
अथवा संयुक्त रूप से पति  
पत्नी आवेदक का  
स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट  
साईज फोटो (हस्ताक्षर इस  
प्रकार किया जाये कि आधा  
फोटो के ऊपर व आधा  
फार्म पर हो।)

**नामांकन / Nomination**

मैं ..... यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु  
हो जाने पर श्री/श्रीमती ..... जो रिश्तों में मेरे/मेरी .....  
..... है, को मैं पंजीकरण के नामान्तरण हेतु नामित करता/करती हूँ।

दिनांक : .....

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान : .....

पूर्ण पता .....

.....  
.....

सम्पर्क सूत्र:-

परिषद ई-मेल

: info@upavp.com

वेबसाईट

: www.upavp.in

टोल फ्री नम्बर

: 1800-180-5333

जन सुविधा केन्द्र दूरभाष नं०

: 0522-2236803

rectt.

KS

EB

EB

EM

अधीक्षण अभियन्ता  
रुहेलखण्ड, मुरादाबाद



## आनलाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

- \* पंजीकरण आवेदन शुल्क रू0 1000 के साथ 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित कुल रू0 1180 आनलाइन जमा करना होगा।
- \* आनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक को सर्वप्रथम वेबसाइट [www.upavp.in](http://www.upavp.in) पर जाकर मुखपृष्ठ (Homepage) के लिंक Online Registration For Plots/House/Flats पर क्लिक करना होगा।
- \* इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के योजनावार पंजीकरण हेतु उपलब्ध लिंक्स में जिस योजना में आवेदन करना है, उस पर क्लिक करना होगा।
- \* आवेदक द्वारा सम्बन्धित योजना की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढ़कर Apply Online लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- \* तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेब पेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से सम्बन्धित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नम्बर, ई-मेल, पैन नम्बर, निवास-पता, आदि विवरण ऑनलाइन अपलोड/फीड किये जायेंगे।
- \* उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा Submit बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- \* Submit करने के उपरान्त आवेदक द्वारा Confirm करने की दशा में उसके अपने ऑनलाइन पंजीकरण से सम्बन्धित विवरण, यूजर आई0डी0/पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- \* उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक Submit पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण (Step-1) की ई-रसीद (e-Receipt) बटन का प्रिन्ट आउट भविष्य के संदर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- \* आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान अपलोड करना है। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ अपलोड करना अपेक्षित होगा।
- \* आवेदन पत्र में अंकित Gender कॉलम में पुरुष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें। संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी) हेतु 'HW' भरें।
- \* आरक्षण की श्रेणी भरने के लिए पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

रिक्त  
पत्र

AE

EE

EE

अधीक्षण अभियन्ता  
रुहेलखण्ड, मुरादाबाद

DMC

## पंजीकरण धनराशि का भुगतान

- \* उपरोक्तानुसार आन-लाईन आवेदन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्राप्त होने वाले प्रिन्ट-आउट में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी:-
- ✓ Visit website [www.upavp.in](http://www.upavp.in) & click on link "Online Registration of Plots/houses/flats"
- ✓ Click on concerning scheme's webpage link.
- ✓ Click 'Apply online' link & provide basic details and property.
- ✓ Please verify the registration details and click 'Confirm' button.
- ✓ Applicant can pay registration fee instantly, if Payment mode was selected as **Netbanking/Debit/Credit Card.**
- ✓ If applicant selected 'e-challan' payment mode, then 'e-challan' will be generated.
- ✓ Take the printout of 'e-challan' and pay registration fee at nearest Bank Branch.
- \* उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा आवेदक को Transaction ID प्रदान की जायेगी।

Recd.

RG

ES

EE

EM

अधीक्षण अभियन्ता  
रुहेलखण्ड, मुरादाबाद

DNC